न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर

जी.सी.एम.नम्बर 2024/27

1. नरेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री नारायण सिंह
2. प्रहलाद सिंह पुत्र स्व. श्री नारायण सिंह
   जाति राजपूत निवासी ग्राम बीजवाड चौहान तहसील मुण्डावर जिला अलवर हाल जिला खैरथल –तिजारा ।
3. नन्द सिंह पुत्र स्व. श्री नारायण सिंह (फौत)
   3/1 कमलेश कंवर पत्नी स्व. श्री नन्द सिंह
   3/2 कृष्ण पाल सिंह पुत्र स्व. नन्द सिंह
   3/4 लवकुश चौहान पुत्र स्व. नन्द सिंह
   जाति राजपूत निवासी ग्राम बीजवाड चौहान तहसील मुण्डावर जिला अलवर हाल जिला खैरथल – तिजारा ।
   3/5 श्रीमती बीना कंवर पुत्री स्व. नन्द सिंह पत्नी कायम सिंह जाति राजपूत निवासी प्लाट नम्बर 106, शेखावत कॉलोनी मीणा वाला सिरसी रोड जयपुर ।
4. दौलत सिंह पुत्र स्व. नारायण सिंह
5. श्रीमती रतन कंवर पत्नी स्व. थान सिंह पुत्र वधू स्व. नारायण सिंह
6. हेमेन्द्र सिंह पुत्र स्व. थान सिंह पौत्र नारायण सिंह
7. अजय राज सिंह पुत्र स्व. थान सिंह पौत्र नारायण सिंह
8. नीरज कंवर पत्नी स्व. श्री विजय राज सिंह पौत्रवधू नारायण सिंह
9. हर्ष चौहाना नाबालिग पुत्र स्व. विजय राज सिंह प्रपौत्र स्व. नारायण सिंह जरिये सरक्षक माता नीरज कंवर
10. हंस चौहान नाबालिग पुत्र स्व. विजय राज सिंह प्रपौत्र स्व. नारायण सिंह जरिये सरक्षक माता नीरज कंवर
11. श्रीमती मोहनी कुमारी पुत्री स्व. देवी सिंह एवं माता स्व. सोलखी उर्फ सौलकी उर्फ जसकंवर पत्नी देवी सिंह जाति चौहान राजपूत समस्त निवासी निवासी ग्राम बीजवाड चौहान तहसील मुण्डावर जिला अलवर हाल जिला खैरथल–तिजारा

–अपीलान्टस

बनाम

1. दलीप कुमार पुत्र स्व. महराम पौत्र स्व. सुरजा उर्फ सुरज उर्फ सरजू
2. बाबूलाल पुत्र स्व. महराम पौत्र स्व. सुरजा उर्फ सुरज उर्फ सरजू
3. सुनिल कुमार पुत्र स्व. महराम पौत्र स्व. सुरजा उर्फ सुरज उर्फ सरजू
4. संगीता पुत्री स्व. महराम पौत्री स्व. सुरजा उर्फ सरजू उर्फ सुरज
5. सरिता पुत्री स्व. महराम पौत्री स्व. सुरजा उर्फ सुरज उर्फ सरजू
6. रंजनी पुत्री स्व. महराम पौत्री स्व. सुरजा उर्फ सुरज उर्फ सरजू
7. मु. फुलवती पत्नी स्व. ननचू उर्फ नन्चू पुत्र वधू स्व. चुन्ना उर्फ चुन्नी लाल
8. राजपाल पुत्र स्व. ननचू उर्फ नन्चू पोत्र स्व. चुन्ना उर्फ चुन्नी लाल
9. नत्थूराम पुत्र स्व. ननचू उर्फ नन्चू पोत्र स्व. चुन्ना उर्फ चुन्नी लाल
10. संतराम पुत्र स्व. ननचू उर्फ नन्चू पोत्र स्व. चुन्ना उर्फ चुन्नी लाल
11. राजवीर पुत्र स्व. ननचू उर्फ नन्चू पोत्र स्व. चुन्ना उर्फ चुन्नी लाल
12. सुशीला पुत्री स्व. ननचू उर्फ नन्चू पोत्री स्व. चुन्ना उर्फ चुन्नी
13. कृष्णा पुत्री स्व. ननचू उर्फ नन्चू पोत्री स्व. चुन्ना उर्फ चुन्नी लाल
14. उर्मिला पुत्री स्व. ननचू उर्फ नन्चू पोत्री स्व. चुन्ना उर्फ चुन्नी लाल
15. निर्मला पुत्री स्व. ननचू उर्फ नन्चू पोत्री स्व. चुन्ना उर्फ चुन्नी लाल
16. जगदीश प्रसाद पुत्र स्व. बंशी पौत्र पौत्र स्व. चुन्ना उर्फ चुन्नी लाल
17. नन्दराम पुत्र पुत्र स्व. बंशी पौत्र पौत्र स्व. चुन्ना उर्फ चुन्नी लाल

संभागीय आयुक्त
जयपुर

18. यादराम पुत्र स्व. बंशी पौत्र पौत्र स्व. चुन्ना उर्फ चुन्नी लाल
19. शीशराम पुत्र स्व. बंशी पौत्र पौत्र स्व. चुन्ना उर्फ चुन्नी लाल
20. गुल्ला उर्फ बूला उर्फ भूला उर्फ बल्ला पुत्र स्व. चुन्ना उर्फ चुन्नी लाल (फौत)
    20/1 निर्मला देवी उर्फ गिन्दो देवी पत्नी स्व. श्री उदयराम पुत्रवधू गुल्ला उर्फ भुल्ला
    20/2 नवीन पुत्र उदयराम
    20/3 वेदपाल पुत्र उदयराम
    20/4 अजीत पुत्र उदयराम
    20/5 जसराम पुत्र गुल्ला उर्फ बूला उर्फ भूला उर्फ बल्ला
    20/6 सरोज पुत्री गुल्ला उर्फ बूला उर्फ भूला उर्फ बल्ला
    20/7 कमला पुत्री गुल्ला उर्फ बूला उर्फ भूला उर्फ बल्ला
    20/8 बिल्ला पुत्री गुल्ला उर्फ बूला उर्फ भूला उर्फ बल्ला समस्त जाति माली
    निवासीयान ग्राम बीजवाड चौहान तहसील मुण्डावर जिला अलवर हाल जिला खैरथल तिजारा।
21. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील मुण्डावर जिला अलवर हाल जिला खैरथल–तिजारा।

– रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरुद्ध आज्ञा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर खैरथल–तिजारा दिनांक 13–12–2023 जिसके तहत नामान्तकरण संख्या 20 दिनांक 01–05–1962 को बहाल करते हुये जरिये नामान्तकरण संख्या 145 दिनांक 01–05–1962 विपक्षी के नाम खातेदारी दर्ज की गई।

उपस्थित–

1. श्री ज्ञानेश्वर बाढदार वकील अपीलान्ट
2. श्री विजय सिंह राठौड वकील रेस्पोडेण्ट 1 की ओर से।
3. राजकीय अधिवक्ता श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल

निर्णय

दिनांक–21.02.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर खैरथल–तिजारा के आदेश दिनांक 13.12.2023 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि यह कि अपीलांट नरेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री नारायण सिंह द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर खैरथल–तिजारा के समक्ष वाके ग्राम बीजवाड चौहान तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा में स्थित भूमि के नायब तहसीलदार द्वारा खोले गये नामान्तरकरण संख्या 145 दिनांक 01.05.1962 एवं नामान्तरकरण संख्या 20 दिनांक 01.05.1962 को गलत बताते निरस्त फरमाये जाने की अपील की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 13.12.2023 को मियाद के बिन्दु पर अपील खारिज किये जाने के आदेश दिये गये।

3. अतिरिक्त जिला कलेक्टर खैरथल–तिजारा के उक्त निर्णय दिनांक 13.12.2023 से व्यथित होकर अपीलान्ट नरेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री नारायण सिंह द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश अतिरिक्त जिला कलेक्टर खैरथल–तिजारा के निर्णय दिनांक 13.12.2023 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

4. अपील प्रस्तुत होने पर अपीलांट के योग्य अधिवक्ता एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के योग्य अधिवक्ता की बहस, बहस एडमिशन पर सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित आराजीयात वाके ग्राम बीजवाड चौहान तहसील मुण्डावर जिला अलवर हाल जिला खैरथल तिजारा में स्थित है विवादित आराजीयात के प्रताप सिंह चौहान राजपूत ही खातेदार मालिक थे। उनके देहान्त के पश्चात उनके वारिस देवी सिंह व नारायण सिंह थे जिसमें देवी सिंह बडा था ओर उसका समय से पहले ही देहान्त हो चुका था । देवीसिंह के दो वारिसान जिसमें उसकी धर्मपत्नी सोंलखी उर्फ सोलंकी उर्फ जसकंवर व नाबालिग पुत्री मोहनी कुमारी थी यह कि अपीलान्ट संख्या 11 मृतक देवी सिंह की पुत्री है एवं सोलखी उर्फ उर्फ सौंलकी उर्फ जसकंवर की मृत्यू दिनाक 02–01–1980 के पश्चात् उनकी भूमि पर पुत्री मालिक रही है। यह कि उक्त आराजीयात में खसरा नम्बर 1292 रकबा 4 बिस्वा जो चाह है खसरा नम्बर 1293 रकबा 2 बिस्वा छतरी है व खसरा नम्बर 1294 रकबा 23 बीघा 6 बिस्वा बाग है जो कतई तोर पर किसी अन्य को खातेदारी नही दी जा सकती थी। अप्रार्थी द्वारा मिलीभगत कर नारायण सिंह की खुदकाश्त की भूमि जागिर पूर्वग्रहण का हवाला करते हुये मिलकियत सरकार दर्ज कर दी एवं उसी रोज जरिये नामान्तकरण संख्या 145 दिनांक 01–05–1962 सुरजा, ननचु, बंशी, गुल्ला पुत्रान चुन्ना जाति माली के नाम खोल दिया। जबकि खुद काश्त की भूमि को जागीर पुर्नग्रहण के पश्चात् भी मिलकियत सरकार दर्ज करने का कोई अधिकार नही था। ओर उसका आदेश बाबत नामान्तकरण 20 प्रथम रूप से अवैध है। जिसके कारण नामान्तकरण संख्या 145 भी खोला गया वह भी अवैध है। नायब तहसीलदार साहब ने जो आज्ञाए पारित की है वह क्षेत्राधिकार के बाहर थी । इस कारण से भी उस पर मियाद के प्रावधान लागू नही होते है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर खैरथल–तिजारा निरस्त किया जाकर नामान्तरकरण संख्या 20 एवं 145 दिनांक 01.05.1962 निरस्त किया ज़ावे।

6. रेस्पोडेण्ट के योग्य अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर खैरथल–तिजारा के समक्ष नामान्तकरण संख्या 20 एवं 145 दिनांक 01.05.1962 के विरूद्व लगभग 60 वर्षो उपरान्त प्रार्थीगण को हैरान–परेशान करने की नियत से मिथ्या तथ्यों पर अपील पेश की गई है एवं विलम्ब का भी कोई संतोषप्रद कारण नहीं दिया गया। जिस कारण से अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद अधिनियम की धारा–5 में वर्णित तथ्यों की पुष्टि में कोई ठोस विधिक दस्तावेजात/साक्ष्य पेश नहीं करने की दशा में अपील मियाद के बिन्दू पर ही विधिक रूप से खारिज फरमा दी जो कि उचित है। नायब तहसीलदार अलवर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 20 एवं 145 दिनांक 01.05.1962 को मृतक खातेदार के विधिक वारिसान के नाम जॉच के आधार पर एवं पटवारी हल्का व गिरदावर के रिपोर्ट के आधार पर ही खोला गया था। जिस पर अपीलांट द्वारा लगभग 60 वर्षो तक कोई आपत्ति नहीं की गई जिसे अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा मिथ्या तथ्यों के आधार पर निरस्त कर दिया जो कि उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से जाहिर होता है कि उक्त मूल विवाद विरासत के आधार पर खोले गये नामान्तरकरण संख्या 20 एवं 145 दिनांक 01.05.1962 को लेकर है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर खैरथल–तिजारा द्वारा अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र दफा–5 कानून मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्यों की पुष्टि में कोई ठोस विधिक दस्तावेज/साक्ष्य पेश नहीं करने की दशा में अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज की गई। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ

न्यायालय के समक्ष लगभग 60 वर्षों बाद अपील पेश की गई थी एवं विलम्ब के कारणों की पुष्टि हेतु कोई ठोस दस्तावेज/साक्ष्य भी प्रस्तुत करना चाहिए था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर खैरथल–तिजारा के निर्णय दिनांक 13.12.2023 में हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं तथा हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं मानते।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट निरस्त की जाती है। तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर खैरथल–तिजारा का निर्णय दिनांक 13.12.2023 यथावत रखा जाता है।

(डॉ. आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 21.02.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।